भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1760
29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारों की सुरक्षा

1760. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन चिंताओं का संज्ञान लिया है कि निर्वाचक नामावली से नाम हटाए जाने के कारण अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित होना, उनका निलंबन अथवा उनमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार मानती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, जिसे केवल किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली से हटाए जाने अथवा उसमें शामिल न होने के आधार पर नकारा नहीं जा सकता, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परामर्श अथवा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है कि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का आधार न बनाया जाए, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार को निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण अथवा उससे संबंधित सत्यापन प्रक्रिया के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित किए जाने अथवा उनमें व्यवधान संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो उन पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अंतर्गत, पात्र परिवारों की पहचान और लाभार्थियों की सूची को अद्यतन करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का दायित्व है।

एनएफएसए की धारा 10 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवारों की पहचान करेंगी तथा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत निर्धारित दायरे में पात्र परिवारों की सूची को समय-समय पर अद्यतन करेंगी।

तदनुसार, एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने, सूची में शामिल करने या सूची से हटाने से संबंधित कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उनके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(घ): विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
